राजस्थान सरकार
वित्त(एस.पी.एफ.सी)विभाग

क्रमांक–एफ–7(2)वित्त/एस.पी.एफ.सी /2013 जयपुर दिनांक– 17/2/2017

परिपत्र

प्रायः यह देखा गया है कि विभिन्न उपापन संस्थाओं द्वारा उपापन प्रक्रिया के दौरान प्रकाशित की गई निविदा सूचना एवं अन्य संबंधित प्रकरण यथा नोडल ऑफिसर बनवाने या उनमें नाम परिवर्तन कराने या इसी प्रकार के अन्य परिवर्तनों के लिये पत्राचार की भौतिक प्रतियाँ वित्त (जीएण्डटी/एसपीएफसी) विभाग प्रेषित की जा रही हैं, जिन पर वित्त विभाग के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

अतः समस्त उपापन संस्थाओ से आग्रह है कि उपापन प्रकिया के दौरान परिवर्तन/संशोधन संबंधी सूचनाएं चेंज रिक्वेस्ट फार्म (CRF) e-mail के जरिये cao.spfc@rajasthan.gov.in पर ही निर्धारित रीति से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही वित्त (जीएण्डटी)/(एसपीएफसी) विभाग को ऐसे पत्रों/आदेशों की प्रतियाँ प्रेषित न करें, जिन पर वित्त विभाग के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि नियमानुसार SPP Portal पर प्रकाशन का पूर्ण दायित्व संबंधित उपापन संस्था का ही है, अतः भविष्य में समस्त उपापन संस्थाऐं प्रकाशन/परिवर्तन/संशोधन संबंधित सूचनाएं SPP Portal की e-mail cao.spfc@rajasthan.gov.in पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

(रामावतार शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव
वित्त (जीएण्डटी) विभाग

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों को सूचित करने हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान, जयपुर।
2. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायलय,जोधपुर/जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान ,जयपुर।
5. समस्त उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त ।
7. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी समस्त विभाग।
8. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान ,जयपुर।
9. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (कोडीफिकेशन) अतिरिक्त प्रति सहित।
10. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण।
11. समस्त उपापन संस्थाएं ।
12. अति. निदेशक वित्त विभाग को भेजकर लेख है कि वित्त(समन्वय) विभाग के आदेश संख्या प.17(1) वित्त(समन्वय)/04 दिनांक 22.06.2004 के कम में इस परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।
13. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव